निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप हों। चीनी मिलों से लेवी चीनी या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके नामितियों द्वारा या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी स्टॉकों को, उन्हें स्वीकार करने से पूर्व, जांच करने की अनुमति है और उन्हें स्टॉक के निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न होने पर उसे अस्वीकार करने का अधिकार है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं के वितरण में कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित दर दुकान के स्तर पर उपभोक्ताओं की सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

Coal Production in Andhra Pradesh

1326. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the expected production of coal from Andhra Pradesh in 1995-96;

(b) whether any shortfall is expected; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the expected coal production from Singareni Collieries Co. Limited (SCCL) situated in Andhra Pradesh. The target of coal production set for the SCCL for the year 1995-96 is 28.00 million tonnes, against which the company has achieved a production of 13.67 million tonnes (provisional) during the period April—November, 1995. On account of sporadic strikes the company had suffered some production loss during the year so far. The extent of shortfall in achieving target will be known only at the end of the financial year.

अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने हेतु उठाए गए कदम

1327. **श्री सतीश अग्रवाल:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी को विशेष रूप से दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक वस्तुओं को नियंत्रित करने/कम करने/न्यूनतम करने हेतु क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने खुला सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में कांट-छांट की है ताकि मुद्रा बाजार में चालू अस्थिरता की स्थिति को सुधारा जा सके; और

(ग) क्या सरकार ने उन सटोरियों और चालबाजों का पता लगाया है जिन्होंने मुद्रा बाजार में यह सन्त्रास पैदा किया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखते हुए समग्र आर्थिक तथ्यों पर विचार करने के बाद किए जाते हैं। वर्तमान आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं का आयात पहले ही प्रतिबंधित है। भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने तथा अटकलों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपाय किए हैं।

Stock of Sugar in the Country

1328. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the details of quantity of sugar stock in the country at present;

(b) the reasons why full quota of sugar has not been supplied to the fair price shops from time to time since January, 1995; and

(c) the steps taken to ensure that Fair Price Shopkeepers do not indulge in blackmarketing on account of shortage in supply?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The sugar season is reckoned from October to September. Accordingly, the stocks of indigenous sugar as on 01.10.1995 were 55.57 lakh

tonnes (Provisional).

(b) The Central Government has been allocating every month full quota of levy sugar to States/Union Territories at the rate of 425 grams per capita availability as per the projected population of 1986 for the Public Distribution System. The operational responsibility for ensuring distribution of sugar through the fair price shops is that of the State Governments/Union Territory Administrations.

(c) Powers under the Essential Commodities Act have been delegated to State Governments for taking action against Fair Price Shopkeepers indulging in blackmarketing etc.

Sugar Production

1329. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Sugar Production during the current year is estimated to touch 145 million tonnes;

(b) if so, how it compares with the sugar production and requirement last year; and

(c) whether sugar would still be required to be imported this year, if so, how much and what steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) As per preliminary reports, the production of sugar during the current 1995-96 season beginning 1st October, 1995 is estimated to be equally good, if not better than the sugar production of 145.85 Lakh Tonnes (Provisional) during the previous 1994-95 season. The estimated requirement of sugar during the current 1995-96 sugar season would be about 129 Lakh Tonnes excluding the sugar imported by private parties under O.G.L. as against the internal consumption of 118.55 Lakh Tonnes (Provisional) excluding the sugar imported by Private parties under O.G.L.

(c) With the carry-over stocks of indigenous sugar at the beginning of the 1995-96 season, balance stock of sugar imported against fresh contract made during 1995 and expected production of sugar during this season, the country would be able to meet the internal requirement of sugar during 1995-96 season.

बाजार को सामानों से पाटने से रोकने (एन्टी-डम्पिंग) संबंधी मामलों की वर्तमान स्थिति

1330. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आवश्यकता से अधिक आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और विदेश-दोनों में बाजारों को सामानों से पाटने से रोकने (एन्टी-डम्पिंग) संबंधी मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) और (ख) भारत में आयात केवल मौजूदा एक्सिम नीति, जोकि आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा करने के लिए तैयार की गयी है, के अनुसार ही किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने पाटन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक नामित प्राधिकारी को अधिसूचित किया है। भारत में प्रारम्भ किए गए प्रति-पाटन के मामलों की स्थिति अनुबंध-1 में संलग्न है **(नीचे देखिए)**

भारत के विरुद्ध विदेशों में शुरू किए गए प्रति-पाटन मामलों से संबंधित विवरण-पत्र अनुबंध-2 में संलग्न है।